

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-331/2025 दिनांक 27.11.2025)
***दिनांक-27.11.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-***

***👉 सेवरही कस्बे में चल रहे नकली खाद व कीटनाशक के अवैध
कारखाने का भंडाफोड़***

***👉 भारी मात्रा में डुप्लीकेट खाद, जिंक, पिपरौनील ब्यूटोंक्साइड व फोरेट
तथा रॉ मटेरियल बरामद***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस
अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी
तमकुहीराज श्री राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक
27.11.2025 को थाना प्रभारी सेवरही श्री धीरेन्द्र राय मय टीम द्वारा
कस्बा सेवरही के पुरानी बाजार स्थित अम्बेडकर नगर वार्ड में एक मकान
में अवैध रूप से नकली खाद एवं कीटनाशक बनाने वाली कारखाने का
भंडाफोड़ किया गया। उक्त मकान में अजय गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता
निवासी राजपुर बगहा थाना सेवरही कुशीनगर के द्वारा नकली खाद, जिंक
सल्फेट, पिपरौनील ब्यूटोंक्साइड एवं फोरेट जैसे खतरनाक कीटनाशक
बनाने का काम किया जा रहा था।

बरामदगी का विवरण-

- 1- भारी मात्रा में नकली खाद (विभिन्न कम्पनियों के नाम से पैक)
 - 2- नकली जिंक सल्फेट के ढेर सारे पैकेट
 - 3- पिपरौनील ब्यूटोंक्साइड एवं फोरेट कीटनाशक की तैयार बोतलें एवं
कैन
- नकली लेबल, पैकिंग मटेरियल, खाली बोरे, रासायनिक पाउडर, मिक्सिंग
मशीन एवं अन्य रॉ मटेरियल

बरामद माल की जाँच एवं सैंपलिंग के लिए जिला विपणन
अधिकारी/कृषि विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर सैंपल लिए जा रहे
हैं। नियमानुसार सभी नमूने लैब भेजे जाएँगे। प्रकरण में आवश्यक वस्तु



Edit with WPS Office

अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम, कॉपीराइट एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना को0 पड़रौना पुलिस द्वारा हत्या के मामले में वांछित एक बाल अपचारी को लिया गया पुलिस अभिरक्षा में-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों को विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.11.2025 को थाना को0 पड़रौना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 426/2025 धारा 191(1),191(2),191(3),352,351(3),103(1),118(1) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 426/2025 धारा

191(1),191(2),191(3),352,351(3),103(1),118(1) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट

अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह चौ0प्र0 कस्बा पड़रौना थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर
3. का0 रवि प्रकाश सिंह थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 47 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-57 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-43, व्यक्ति-121
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-48)

ଜନପଦ କୁଶୀନଗର



Edit with WPS Office